



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 09 दिसम्बर, 2024

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना कोतवाली देहात

गौकशी करने वाले बदमाश से स्वाट टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 08/09.12.2024 की रात्रि में एक अभिसूचना के आधार पर थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम अडौली नहर पुल के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी तभी बाइक पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुका और बाइक को तेजी से मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया तो बदमाश ने अपनी बाइक अडौली नहर पटरी की तरफ मोड़ दी तथा हड़बड़ाहट में बदमाश की बाइक फिसलकर गिर गयी। अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **1. शमीम उर्फ कंजा पुत्र खलील निवासी ग्राम गंगावली थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है।** घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाश शातिर किस्म के गौकश अपराधी हैं। जिनके द्वारा दिनांक 03/04.08.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत आम के बाग में गौकशी की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं 453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी पर 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था तथा जिसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शमीम उर्फ कंजा पुत्र खलील निवासी ग्राम गंगावली थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 01 तमंचा 315 बोर व 02 खोखा।
- 2- 01 स्पेलण्डर बाइक (बिना नम्बर)।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्त शमीम उर्फ कंजा का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 250/15 धारा 395/412 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 247/15 धारा 356 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 102/16 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 215/16 धारा 392 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
5. मुअसं- 379/16 धारा 392/411 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
6. मुअसं- 432/16 धारा 307/399/402/403 भादवि थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।
7. मुअसं- 433/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।
8. मुअसं- 59/18 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
9. मुअसं- 62/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
10. मुअसं- 179/20 धारा 307 भादवि थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 180/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 120बी भादवि थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 214/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर।

13. मुअसं- 31/21 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं- 119/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं- 453/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
16. मुअसं- 807/24 धारा 109, 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
- 2- उ०नि० वरुण शर्मा, उ०नि० कृष्ण कुमार गौतम, उ०नि० मनीष यादव, का० गौरव राणा व का० अमिता।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम-

- 1- श्री राहुल चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम।
- 2- है०का० कपिल नैन, है०का० निकुंज यादव, है०का० प्रदीप कुमार, है०का० मनीष त्यागी, है०का० मौ० आरिफ, है०का० राहुल त्यागी, का० सचिन चौहान, का० नरेन्द्र, का० रोहित कुमार, का० अमित कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर